पहले: एएल बाहरी और वीके बाली, जे.जे.

सोवर राम सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

भारत संघ और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1991 का 5635

1 जनवरी 1992.

*भारतीय दंड संहिता—एस.*302—सेना अधिनियम, 1950 (46-1950)—एस. 125 और 164(2)—सेना नियम, 1954—आर. 22—दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) धारा 354(3) यथासंशोधित—भारत का संविधान—1950—कला. 226—जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा हत्या का मुकदमा—सिपाही को सेना के दो अधिकारियों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई—दंड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 354(3) के तहत मौत की सजा देने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता-धारा 354 में निर्धारित सिद्धांत(3) मौत की सजा देने के मामले में जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष सुनवाई के लिए आवेदन करना होगा - जीसीएम द्वारा कारणों की रिकॉर्डिंग न करना - सजा का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता - पागलपन की दलील - सबूतों की कमी के कारण अदालत इसमें नहीं जा रही - शमन अपराध का - उच्च न्यायालय द्वारा मामले का समग्र मूल्यांकन - सजा के आदेश को संशोधित किया गया और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

(पैरा 3, 8, 9. 12 और 13)

*आयोजित,*प्रस्तुत किए गए मूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेना नियमों के नियम 22 का पूरी तरह से पालन किया गया था और ब्रिगेडियर, जो एक ब्रिगेड का ऑफिसर कमांडिंग है, सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत एक सक्षम अधिकारी है, ने वास्तव में एक आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाए। जीसीएम द्वारा

(पैरा 3)

*आयोजित,*भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि जीसीएम के समक्ष सैन्य कर्मियों पर लागू होता है। मनमानी या भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है जब धारा के तहत हत्या के अपराध के लिए जीसीएम द्वारा सेना के किसी कर्मी पर विशेष रूप से मुकदमा चलाया जाता है। 302, भारतीय दंड संहिता. सेना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में जीसीएम द्वारा अपनाई जाने वाली एक अलग प्रक्रिया निर्धारित है। यद्यपि धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है, लेकिन इससे निपटा गया मामला कोई प्रक्रियात्मक मामला नहीं है, बल्कि अपराध विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। . धारा 354(3), सीआरपीसी का प्रावधान; धारा 302, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा होने पर, जीसीएम को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को सजा देने के मामले में सीआरपीसी की धारा 354(3) के प्रावधान या उसमें दिए गए सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक था।

(पैरा 8)

*आयोजित,*भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधान संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं, जिन्हें जीसीएम और सिद्धांतों द्वारा मुकदमा चलाए जाने वाले सेना कर्मियों पर लागू किया जाता है।

सीआरपीसी की धारा 354(3) में निर्धारित प्रावधानों को सेना कर्मियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के लिए सजा देने के मामले में जीसीएम के समक्ष परीक्षणों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

(पैरा 9)

*आयोजित,*जीसीएम के सदस्यों के लिए जज एडवोकेट जनरल द्वारा तैयार किए गए पते का वर्तमान मामले में अध्ययन किया गया है। इसमें कोई संकेत नहीं है कि जीसीएम को सीआरपीसी की धारा 354(3) के प्रावधान या उसमें निहित दंड-विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर सलाह दी गई थी। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए सजा निर्धारित करने के मामले में जीसीएम का ध्यान दंड विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर नहीं गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता को जीसीएम द्वारा दी गई सजा का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कानून।

(पैरा 12)

*आयोजित,*यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता ने स्वयं अपना नाम और विवरण लिखना शुरू कर दिया था, तो कोई कारण नहीं था कि वह इसे पूरा नहीं कर सका। किसी भी पुष्टि के अभाव में, न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर, जैसा कि वर्तमान मामले में मकसद की सीमा तक है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों में सुझाया गया मकसद केवल यह है कि मृतकों में से एक ने याचिकाकर्ता को मेंढक-कूदने की सजा दी थी, जो नाराज थी या उपरोक्त अधिकारी ने याचिकाकर्ता को तब बुलाया था जब वह नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उपरोक्त मकसद साबित होने पर भी दो अधिकारियों की हत्या करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि मानसिक असंतुलन के कारण आरोपी ने अपराध किया हो और इस प्रकार यह दुर्लभतम का मामला नहीं होगा जहां मौत की सजा दी जानी चाहिए।

(पैरा 13)

*आयोजित,*प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि सेना एक अनुशासित बल है और यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी की हत्या करता है जिसकी उसे रक्षा करनी होती है, तो मौत की कठोर सजा सही लगाई गई थी। इस विवाद को पुनः स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि सजा निर्धारित करने के मामले में दंड-विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, तो न केवल अपराध की प्रकृति बल्कि अपराधी के पूर्ववृत्त के अलावा अन्य तथ्यों और परिस्थितियों जैसे कि मकसद को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपराध। मामले के समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि वर्तमान गैस के तथ्यों और परिस्थितियों में मौत की सजा देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जीसी:एम द्वारा सजा का आदेश पारित किया गया। संशोधित किया गया है और मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

(पैरा 13 एवं 14)

*अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस मामले का रिकॉर्ड भेजने की कृपा करेगा, और अवलोकन के बाद निम्नलिखित की कृपा करेगा: -

(a) 1 कोर्ट मार्शल द्वारा याचिकाकर्ता के मुकदमे और परिणामी निष्कर्ष को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

*धारा के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, इस आधार पर इसकी पुष्टि सहित सजा कि याचिकाकर्ता का मुकदमा क्षेत्राधिकार के बिना है*सेना अधिनियम की धारा 125;

(b) विशेष रूप से और सचेत रूप से प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति के कारण संविधान के अनुच्छेद 21, 19 और 14 का उल्लंघन करते हुए, कोर्ट मार्शल द्वारा अपराध की सुनवाई को अधिकृत करने वाले प्रावधानों की घोषणा करते हुए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो मौत की सजा से दंडनीय है। विधायिका द्वारा;

(c) याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा को उसकी असंवैधानिकता के मद्देनजर रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जहां तक कि यह सजा याचिकाकर्ता को कोर्ट मार्शल द्वारा इस तथ्य के आधार पर दी गई है कि उसे देने में विवेकाधिकार था। व्यक्ति द्वारा उनके समक्ष कोई प्रतिफल उपलब्ध कराए बिना और इस संबंध में कोई कारण बताए बिना प्रयोग किया जाता है, जिसे अब अनिवार्य माना जाता है।

(d) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस की सेवा से मुक्ति;

(e) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट;

(f) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की पुरस्कार लागत;

*आगे यह प्रार्थना की गई है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान,*कृपया मृत्युदंड के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता के लिए आरएस बजाज के वकील आरएस रंधावा और वकील गुरविंदर सिंह गिल थे।

उत्तरदाताओं के लिए यूओआई के स्थायी वकील ज्ञानी हरिंदर सिंह, वकील जोगिंदर शर्मा और वकील जीएस विरदी।

निर्णय

एएल बहरी, जे.

(1) सोवासोवर राम सिंह, ए) सेना में सिपाही, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका को चुनौती देते हुए, जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराने और सजा सुनाए जाने का आदेश पारित किया गया; मृत्यु और उसके बाद के आदेशों से उसके वैधानिक अभ्यावेदन पर पूर्वोक्त आदेश की पुष्टि होती है।

आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता पर सेना के दो अधिकारियों की हत्या करने का आरोप है; कैप्टन संजीब कुमार नायक और कैप्टन कुलदीप

ठाकुर 28 मई 1987 को अपनी सर्विस राइफल के साथ। याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 8 सितंबर, 1987 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों पर मुकदमा चलाया गया। अनुलग्नक पी.2 के माध्यम से, जनरल कोर्ट मार्शल (संक्षेप में 'जीसीएम' कहा जाता है) ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता उपरोक्त आरोपों का दोषी था। 26 अप्रैल, 1988 के आदेश अनुलग्नक पी.3 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को सजा की घोषणा की गई कि उसे तब तक गर्दन से लटकाकर मौत भुगतनी होगी जब तक वह मर न जाए। यह आदेश पुष्टि के अधीन था. इसके बाद, मृत्युदंड की पुष्टि की गई, जैसा कि सूचित किया गया था, आदेश अनुलग्नक पी.4, दिनांक 30 जनवरी, 1990 के माध्यम से। आदेश की प्रति अनुलग्नक पी.4/ए दिनांक 24 जुलाई, 1989 है। धारा 164 (2) के तहत दायर एक याचिका केंद्र सरकार द्वारा सेना अधिनियम को खारिज कर दिया गया था, - 20 दिसंबर 1990 को संप्रेषित आदेश के तहत। अनुलग्नक पी.5।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं:-

(1) सेना नियम, 1954 के नियम 22 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए जीसीएम द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ चलाया गया मुकदमा दूषित हो गया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी ने जीसीएम के समक्ष याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत आवश्यक विवेक का प्रयोग नहीं किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह के आदेश के अभाव में जीसीएम द्वारा याचिकाकर्ता का पूरा मुकदमा अधिकार क्षेत्र के बिना था। जीसीएम द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जा सकता है।

(3) मृत्युदंड प्रदान करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधान संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 14, 19 और 21) के दायरे से बाहर हैं। इस तर्क को विशेष रूप से अभियुक्तों के मामले में संबोधित किया गया है, जिन पर जीसीएम द्वारा मुकदमा चलाया जाना है, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जीसीएम के समक्ष परीक्षणों पर लागू नहीं होते हैं। धारा 354 (3) में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में पेश किए गए संशोधन में अब मौत की सजा देने के कारणों को दर्ज करने का प्रावधान है, जबकि पहले जहां मौत की सजा नहीं दी जानी थी, वहां कारणों को दर्ज करना आवश्यक था।

(4) भले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जीसीएम के समक्ष परीक्षणों पर लागू नहीं होते हैं

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1980 सुप्रीम कोर्ट 898 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर मौत की सजा देने के मामले में इसमें दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम द्वारा निर्धारित कानून न्यायालय जीसीएम सहित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

(5) एक विशिष्ट याचिका दायर की गई थी जिसमें सेना अधिकारियों से याचिकाकर्ता को हुई पागलपन की बीमारी से संबंधित सामग्री पेश करने का आह्वान किया गया था। परीक्षण के दौरान ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई और परीक्षण के समापन के बाद एक जांच की गई और याचिकाकर्ता को जांच के लिए डॉक्टरों के बोर्ड के पास भेजा गया। यह उस चरण में था जब दो डॉक्टरों के बयान इस आशय से दर्ज किए गए थे कि याचिकाकर्ता परीक्षण के चरण में फिट था। याचिकाकर्ता को 1983 में पागलपन का सामना करना पड़ा और इस कारण याचिकाकर्ता को 'ए' श्रेणी से घटाकर 'बीईई* श्रेणी में डाल दिया गया। इसके बाद हालांकि याचिकाकर्ता की समय-समय पर जांच की जानी आवश्यक थी, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं हुई और अदालत के गवाह के रूप में पेश हुए डॉक्टरों की राय को नजरअंदाज कर दिया गया कि पागलपन से पीड़ित ऐसे व्यक्ति को बाद में हमले का सामना करना पड़ सकता है। इस तर्क को दो पहलुओं में संबोधित किया गया है; पहला यह कि अपराध के समय याचिकाकर्ता वास्तव में पागलपन से पीड़ित था और इस प्रकार उसने कोई अपराध नहीं किया और दूसरे, मुकदमे के चरण में भी याचिकाकर्ता पागलपन से पीड़ित था और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका।

(6) यद्यपि अभियुक्त को अपना बचाव पूरी तरह से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि, यदि उसकी याचिका विश्वसनीय मानी जाती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और कम से कम सजा देने के मामले में उस पर विचार किया जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियों में दी गई पागलपन की दलील को अपराध को कम करने

वाले कारकों में से एक माना जाना चाहिए और यह दुर्लभतम का मामला नहीं होगा जहां मौत की सजा दी जानी चाहिए थी।

(3) जहां तक पहले दो बिंदुओं का सवाल है, हालांकि आधिकारिक उत्तरदाताओं की ओर से दायर लिखित बयान में याचिका में कथित तथ्य बताए गए हैं। विशेष रूप से विवादित नहीं थे, हालाँकि, उत्पादित मूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेना के नियम 22

का पूरी तरह से पालन किया गया और ब्रिगेडियर जो एक ब्रिगेड के ऑफिसर कमांडिंग हैं, सेना अधिनियम की धारा 125 के तहत एक सक्षम अधिकारी हैं, ने वास्तव में एक आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता पर जीसीएम द्वारा मुकदमा चलाया जाए। इस प्रकार, इन दोनों बिंदुओं पर किसी और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा गया। एस. भगत बनाम भारत संघ (1), इस आशय का विस्तार से वर्णन करता है कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 125 के तहत एक आदेश पारित करना आवश्यक था।

(4) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की शक्तियों का प्रश्न जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चर्चा का विषय था, जिसमें यह माना गया है कि उपरोक्त प्रावधान इंट्रा वायर्स है। राजेंद्र, प्रसाद बनाम यूपी राज्य (3) में, सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिंह के मामले (सुप्रा) में फैसले पर कुछ टिप्पणियां कीं।

(5) इसके बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में संशोधन के बाद बचन सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधान को अधिकारातीत माना गया।' एक अतिरिक्त आधार पर भी विचार किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के लागू होने के बाद यदि मौत की सजा देना आवश्यक है तो न्यायालय को कारण दर्ज करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्यतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। यह देखा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) को लागू करने से पहले, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा का नियम था और यदि आजीवन कारावास की सजा देना आवश्यक था, तो न्यायालयों को इसकी आवश्यकता होती थी। कारण रिकार्ड करें. बचन सिंह मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कुछ अंशों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु दो प्रश्न प्रस्तुत किये गये:-

(i) क्या दण्ड संहिता की धारा 302 में हत्या के अपराध के लिये मृत्युदण्ड का प्रावधान असंवैधानिक है?

(ii) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 354(3) में प्रदान की गई सजा प्रक्रिया इस आधार पर असंवैधानिक है कि यह न्यायालय को दिशाहीन बनाती है, अनियंत्रित विवेक

(1) एआईआर 1982 दिल्ली 191।
(2) (1973)2 एससीआर 541।
(3) (1979)3 एससीआर 646।

और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या या किसी अन्य मृत्युदंड के अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को मनमाने ढंग से या अजीब तरीके से मौत की सजा देने की अनुमति देता है, जिसके लिए मौत की सजा या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

पैरा 141 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक दिया।

(6) निर्णय के पैरा 132 में यह निम्नानुसार देखा गया: -

"यह कहना पर्याप्त है कि तथ्य यह है कि तर्क, ज्ञान और प्रकाश के लोग इस मुद्दे पर अपनी राय में तर्कसंगत और गहराई से विभाजित हैं, याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करने के लिए अन्य बातों के अलावा एक आधार है कि विवादित प्रावधान में मृत्युदंड को बरकरार रखा गया है। , पूरी तरह से कारण और उद्देश्य से रहित है। यदि, उन्मूलनवादियों के विपरीत दृष्टिकोण के बावजूद, दुनिया भर में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसमें समाजशास्त्री, विधायक, न्यायविद, न्यायाधीश और प्रशासक शामिल हैं, अभी भी समाज की सुरक्षा के लिए मृत्युदंड के मूल्य और आवश्यकता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, यदि भारत में प्रचलित अपराध स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, संसद में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रसारित समकालीन जनमत ने पिछले तीन दशकों में बार-बार मृत्युदंड के क्षेत्र को समाप्त करने या विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है, जिसमें हाल ही में किया गया प्रयास भी शामिल है। यदि दुनिया के अधिकांश सभ्य

देशों में हत्या या कुछ प्रकार की हत्याओं के लिए मृत्युदंड अभी भी एक मान्यता प्राप्त कानूनी मंजूरी है, यदि भारतीय संविधान के निर्माताओं को पूरी तरह से पता था जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे कि वे मृत्युदंड के अस्तित्व के बारे में जानते थे हत्या के लिए सजा के रूप में, भारतीय दंड संहिता के तहत, यदि विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट और उसके बाद की रिपोर्ट में मृत्युदंड को बरकरार रखने का सुझाव दिया गया है, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन और नई धारा 235(2) और 354 को शामिल करने की सिफारिश की गई है। (3) उस संहिता में हत्या और अन्य मृत्युदंड अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर सजा-पूर्व सुनवाई और सजा की प्रक्रिया का प्रावधान संसद के समक्ष था और संभवतः उस पर विचार किया गया था जब 1972-73 में इसने 1898 की संहिता में संशोधन किया और इसे बदल दिया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार, यह मानना संभव नहीं है कि दंड संहिता की धारा 302 में हत्या के लिए वैकल्पिक सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान अनुचित है और सार्वजनिक हित में नहीं है।

(7) दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं में दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया। निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रासंगिक माना गया, जो सज़ा के निर्धारण में अत्यधिक महत्व देने योग्य थीं:--

(1) यह अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

(2) छठे आरोपी की उम्र. अगर आरोपी जवान है या बूढ़ा. उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी.

(3) संभावना यह है कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा क्योंकि यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा।

(4) संभावना है कि आरोपी को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों

3 और 4 को पूरा नहीं करता है।

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

(6) यह कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में कार्य किया।

(7) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया।

(8) इसके बाद, अलाउद्दीन मियां और अन्य शरीफ मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले पर विचार किया। बचन सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात को मंजूरी दे दी गई और मामले को बड़ी पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजना उचित नहीं समझा गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 5 का उल्लेख करने के बाद तर्क दिया है कि सीआरपीसी में निहित प्रावधान जीसीएम के समक्ष सेना कर्मियों के मुकदमे पर लागू नहीं होते हैं। वकील के अनुसार सीआरपीसी की धारा 354 (3) में निहित प्रावधान जीसीएम पर लागू नहीं होंगे और इसमें कोई समान प्रावधान नहीं है।

(4) 1989 3, 5 न्यायालय मामले 5.

हत्या के अपराध के लिए किसी सैन्य कर्मी पर मुकदमा चलाते समय सेना अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस आलोक में यह तर्क दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा <102 के प्रावधानों को अधिकारातीत माना जाना चाहिए क्योंकि जीसीएम द्वारा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को धारा 354 (3) के लाभकारी प्रावधान से वंचित कर दिया गया था। Cr.PC इस समझौते में आग्रह किए गए बिंदु संख्या 4 को भी शामिल किया गया है। हमने मामले के इस पहलू पर उचित विचार किया है और हमारा दृढ़ मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को जीसीएम के समक्ष सैन्य कर्मियों पर लागू अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, माना है कि धारा 302, भारतीय दंड संहिता, संविधान के अंतर्गत है। जब किसी सैन्यकर्मी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए विशेष रूप से जीसीएम द्वारा मुकदमा चलाया जाता है तो मनमानी या भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सेना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में जीसीएम द्वारा अपनाई जाने वाली एक अलग प्रक्रिया निर्धारित है। हालाँकि धारा 354 (3) दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है, लेकिन इससे निपटा गया मामला कोई प्रक्रियात्मक मामला नहीं है, बल्कि अपराध विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। . सीआरपीसी की धारा 354 (3) के प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित बचन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। ऐसी स्थिति होने पर, जीसीएम को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को सजा देने के मामले में सीआरपीसी की धारा 354 (3) के प्रावधान या उसमें दिए गए सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 354 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसी आरोपी को सजा देने के मामले में जो कानून बनाया है, वह सभी पर लागू होता है। जीसीएम सहित देश में न्यायालय। इस दृष्टिकोण को रणबीर सिंह बनाम जनरल कोर्ट मार्शल और अन्य (5) में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले से भी समर्थन मिलता है। हम फैसले के पैरा 19 में की गई टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून कला के तहत भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। संविधान के 141. हालाँकि, यह पता लगाने के लिए कि क्या मौजूदा मामले में कोई अवैधता, तर्कसंगतता या विकृति है, हमें अपनाई गई प्रक्रिया पर गौर करना होगा और

पता लगाना होगा

(5) 1991 सीआरएल. एलजे 2850.

यह जानने के लिए कि क्या कोर्ट मार्शल को मौत की सजा देने के संबंध में कानून के बिंदुओं के बारे में उचित सलाह दी गई थी। सेना नियमों का नियम 105 जज एडवोकेट की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, जिन्हें कोर्ट मार्शल के समक्ष मुकदमे के दौरान पूरी तरह से निष्पक्ष स्थिति बनाए रखने में सावधानी बरतनी होती है। जज एडवोकेट का यह भी दायित्व है कि वह अभियोजक और अभियुक्त दोनों को अपनी राय प्रदान करे और आरोप या मुकदमे से संबंधित कानून के किसी भी प्रश्न पर, चाहे वह अदालत के अंदर हो या बाहर हो। वह कार्यवाही में किसी भी कमजोरी या अनियमितता के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए जिम्मेदार है। चाहे परामर्श किया गया हो या नहीं, उसे संयोजक अधिकारी और न्यायालय को आरोप या न्यायालय के संविधान में किसी भी कमजोरी या दोष के बारे में सूचित करना होगा और न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले पर अपनी सलाह देनी होगी। मामले के समापन पर उसे सबूतों का सारांश देना होता है और अदालत के निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पहले मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय देनी होती है। वर्तमान मामले में न्यायाधीश अधिवक्ता का विस्तृत सारांश पता, पूर्व। जीसीएम की कार्यवाही से जुड़े यू. से पता चलता है कि उन्होंने अदालत के पीठासीन अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में सलाह दी थी, लेकिन हत्या के अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के संबंध में अदालत को उचित मार्गदर्शन करने में अपने कर्तव्यों में विफल रहे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो बाध्यकारी थे और देश में कानून थे।"

(9) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह माना जाता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के प्रावधान संविधान के प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं, जिन्हें जीसीएम द्वारा मुकदमा चलाए जाने वाले सैन्य कर्मियों पर लागू किया जाता है और निर्धारित सिद्धांत हैं। सीआरपीसी की धारा 354 (3) को सेना कर्मियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के लिए सजा देने के मामले में जीसीएम के समक्ष परीक्षणों पर भी लागू किया जाना है।

(10) बिंदु क्रमांक 5 और 6 मामले के गुण-दोष से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता के पागलपन से किए गए अपराध की प्रकृति को प्रभावित करने या उस कारण से मुकदमे को ख़राब करने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। जहां तक उस आधार पर मुकदमे को ख़राब करने वाले सबूतों का सवाल है, अभियोजन और बचाव साक्ष्य के निष्कर्ष

के बाद जीसीएम का ध्यान पागलपन के संभावित बचाव की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को मेडिकल के लिए भेजा गया था। चेकअप के लिए बोर्ड. इस प्रकार दोनों डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए

याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच की गई और राय दी गई कि याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान पागलपन का दावा नहीं कर रहा था। साक्ष्य मेजर के बर्क्सर सीडब्ल्यू 1 और डॉ. कविंदर मोहन शर्मा सीडब्ल्यू 2 के हैं। उपरोक्त के अलावा, मुकदमे की कार्यवाही से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की सुनवाई की तारीखों पर सुबह चिकित्सकीय जांच की गई और उसे फिट पाया गया। . अत: इस पहलू पर किसी और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मुकदमे के दौरान अभियुक्त किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं था और मुकदमा ख़राब नहीं हुआ है।

(11) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद दर्ज किए गए अपने बयान में आरोपी द्वारा की गई पागलपन की दलील के संबंध में, कर्नल एमसी कोहली डीडब्ल्यू 1 का उत्पादन किया गया था। उनके बयान और ऊपर उल्लिखित दो डॉक्टरों के साक्ष्यों को देखने से, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जिस दिन अपराध किया गया था, उस दिन याचिकाकर्ता पागलपन से पीड़ित था। उपरोक्त साक्ष्यों से जो व्यापक तथ्य सामने आए हैं वे यह हैं कि 198^ में याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की बीमारी हुई थी और वह बेहोश (फिट) हो गया था। इस कारण उन्हें कुछ महीनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें "ए" श्रेणी से घटाकर 'बीईई' श्रेणी में भी डाल दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता की कोई मेडिकल जांच नहीं की गई। कर्नल एमसी कोहली डीडब्ल्यू1 के साक्ष्य से यह पता चला कि कई बार याचिकाकर्ता बिल्कुल सामान्य नहीं दिख रहा था, जो घरेलू समस्याओं के कारण हो सकता है। याचिकाकर्ता के अस्पताल में भर्ती होने पर दी गई बीमारी की हिस्ट्रीशीट में दर्ज कारणों में से यह भी एक कारण था। यह साक्ष्य की इस स्थिति में है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी, बल्कि यह तर्क दिया कि सजा देने के मामले में याचिकाकर्ता की स्थिति पर विचार किया जा सकता है यानी यह हो सकता है। अपराध करते समय मानसिक असंतुलन का मामला, जिसे कम सजा की आवश्यकता वाले अपराध को कम करने के लिए एक वैध आधार के रूप में माना जाना चाहिए। सजा के निर्धारण के मामले में विचार करने योग्य विभिन्न मामले पहले ही बाहन सिंह के मामले से

पुन: प्रस्तुत किए जा चुके हैं और बिंदु संख्या 7 पर विशेष संदर्भ दिया जा सकता है। यह इस संदर्भ में है कि अन्य न्यायिक घोषणाओं का भी संदर्भ दिया जा सकता है जहां मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने इन मामलों पर भरोसा किया है। नामू राम बोरा बनाम असम और नागालैंड राज्य (6) में सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसने अपनी ही पत्नी और दो बेटियों की हत्या की थी।

(6) एआईआर 1975 एससी 762।

मन के असंतुलन की अवस्था जिसमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता और यह कार्य पूर्व नियोजित नहीं होता। आरोपी ने सीआरपीसी (पुरानी) की धारा 342 के तहत दर्ज किए गए बयान में दलील दी थी कि वह कुत्ते के काटने के बाद मानसिक विकार से पीड़ित था। उनका दावा सही हो या न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ट्रिपल मर्डर किसी मानसिक असंतुलन के परिणामस्वरूप किया गया था। श्रीरंगन बनाम -तमिलनाडु राज्य, (7) में तिहरे हत्याकांड के मामले में मौत की सजा को इस आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था कि आरोपी युवा था और पागलपन की दलील भी दी गई थी। रणबीर सिंह के मामले (सुप्रा) में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले का अंतिम संदर्भ फिर से किया जा सकता है, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाए गए एक सैन्यकर्मी के मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। जीसीएम द्वारा.

(12) वर्तमान मामले में जीसीएम के सदस्यों के लिए जज एडवोकेट जनरल द्वारा तैयार किए गए पते का अध्ययन किया गया है। इसमें कोई संकेत नहीं है कि जीसीएम को सीआरपीसी की धारा 354 (3) के प्रावधान या उसमें निहित दंड-विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर सलाह दी गई थी। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 3U2 के तहत अपराध करने के लिए सजा निर्धारित करने के मामले में जीसीएम का ध्यान दंड विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर नहीं गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता को जीसीएम द्वारा दी गई सजा का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कानून।

(13) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत तय किए गए आरोप को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने एक चश्मदीद गवाह के प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ-साथ दो सेना कर्मियों द्वारा दर्ज किए गए न्यायेतर बयान पर भरोसा किया; पीडब्लू 18 मेजर केएस जसवाल और लेफ्टिनेंट केजेएस चीमा (पीडब्लू 10) .. चूंकि अपराध के प्रत्यक्ष सबूत थे, याचिकाकर्ता की सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जीसीएम द्वारा सही तरीके से दर्ज किया गया था और इस प्रकार यह किया गया है बहस के दौरान सवाल नहीं किया गया. न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है। घटना के तुरंत बाद याचिकाकर्ता को सैन्य अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और पूरे समय वहीं रहा। ऐसी परिस्थितियों में दर्ज की गई न्यायेतर स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब आरोपी को इस अवधि के दौरान अपने रिश्तेदार से मिलने का पूरा मौका मिले, किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति से तो दूर। इस विवाद में दम है. इसमें कोई शक नहीं

(7) एआईआर 1978 एससी 274।

जिन दो अधिकारियों ने न्यायेतर स्वीकारोक्ति दर्ज की, वे याचिकाकर्ता से ऊंचे पद पर थे और उन्हें स्वतंत्र गवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि, दूसरे न्यायेतर बयान दर्ज करने के संबंध में संदेह है क्योंकि कभी-कभी अभियुक्त ने खुद ही इसका कुछ हिस्सा लिखा था और शेष भाग संबंधित अधिकारी द्वारा लिखा गया था। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया. एक अस्पष्ट सुझाव यह रखा गया कि कई बार अभियुक्त स्वयं कुछ लिखना चाहता है और उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क महत्व देने योग्य है कि यदि न्यायेतर स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता ने स्वयं अपना नाम और विवरण लिखना शुरू कर दिया था, तो कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। वही पूरा करें. किसी भी पुष्टि के अभाव में, न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य पर, जैसा कि वर्तमान मामले में मकसद की सीमा तक है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों में सुझाया गया मकसद केवल यह है कि मृतकों में से एक ने याचिकाकर्ता को मेंढक-कूदने की सजा दी थी, जो नाराज थी या उपरोक्त अधिकारी ने याचिकाकर्ता को तब बुलाया था जब वह नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उपरोक्त मकसद साबित होने पर भी दो अधिकारियों की हत्या करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि मानसिक असंतुलन के कारण आरोपी ने अपराध किया हो और इस प्रकार यह दुर्लभतम का मामला नहीं होगा जहां मौत की सजा दी जानी चाहिए। प्रतिवादी के वकील का तर्क है कि सेना एक अनुशासित बल है और यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठों की हत्या करता है जिनकी उसे रक्षा करनी होती है, तो मौत की कठोर सजा सही लगाई गई थी। इस विवाद को पुनः स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि सजा निर्धारित करने के मामले में दंड के बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, तो न केवल अपराध की प्रकृति बल्कि अपराधी के पूर्ववृत्त के अलावा अन्य तथ्यों और परिस्थितियों जैसे कि मकसद को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपराध। मामले के समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौत की सजा देने की आवश्यकता

नहीं थी।

ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। जीसीएम अनुलग्नक पी.3 द्वारा पारित सजा के आदेश को संशोधित किया गया है और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

आरजेवी.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा